

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं

2022
503

18
22

:- आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का बलेखण व भू.अ.नि. गोविन्दगढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चौमूं की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बलेखण तह0 चौमूं व जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 में खाता संख्या 195 में वर्तमान में प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम बलेखण तह0 चौमूं जिला जयपुर	195	हरिकुमार पुत्र सुवालाल सा. चौमूं	हरिश कुमार पुत्र सुवालाल सा. दे. बलेखण।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूं

दिनांक : 30/11/22

क्रमांक : 1214-15
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौमूं को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री हरिश कुमार पुत्र सुवालाल सा.दे. बलेखण। को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूं

